ीं सेंचुरी से कोहली
च दिया इतिहास

NBT

वर्ल्ड टूर जीतने
वाली पहली भारत

# नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली › सोमवार, 17 दिसंबर 2018 › मार्गशीर्ष 26 शक संवत 1940 मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम 2075 YOUNG INDIA › Y

**नर्सरी एक्सपर्ट : खगेश झा, एजुकेशन एक्टिविस्ट**

## 'एड्रेस प्रूफ में रेंट अग्रीमेंट चलेगा मगर हो रजिस्टर्ड'

**Q** मैं जयपुर से हूं, दिल्ली में पोस्टिंग है और मिनिस्ट्री में जॉब करता हूं। रेजिडेंस प्रूफ के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट वैलिड हैं? – गोविंद

आप आधार कार्ड में एड्रेस बदलवा सकते हैं, यह काम जल्दी भी हो जाता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट दिखा सकते हैं। अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हैं तो सरकार की तरफ से मिला डॉक्युमेंट जिसमें आपका एड्रेस हो, वह भी दिखा सकते हैं।

**Q** मेरी एक ही बच्ची है जिसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2016 है। क्या उसका एडमिशन इस साल हो सकता है? अगर हां, तो किस क्लास में? हमारे पास एमसीडी बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड नहीं है। कई स्कूल आधार कार्ड जरूरी कह रहे हैं। हमें कहां शिकायत करनी चाहिए? – दीपक गौतम

आपकी बच्ची अभी छोटी है इसलिए उसका एडमिशन नर्सरी में नहीं हो सकता। आप उसे नर्सरी में अगले साल दाखिल कर सकते हैं। साथ ही, बच्चे का आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आप शिक्षा निदेशालय में शिकायत कर सकते हैं।

**Q** मेरी बेटी की पैदाइश 27 फरवरी 2015 की है। उसका एडमिशन नर्सरी में होगा या केजी में? – रूबी शर्मा

आपकी बच्ची का एडमिशन नर्सरी में होगा। निदेशालय के सर्कुलर के मुताबिक, नर्सरी के लिए कम से कम 3 साल, केजी के लिए 4 साल और क्लास 1 के लिए 5 साल होनी चाहिए। साथ ही, नर्सरी के लिए अपर एज लिमिट 4 साल से कम, केजी के लिए 5 साल से कम और क्लास 1 के लिए 6 साल से कम उम्र (31 मार्च तक) होनी चाहिए।

**Q** मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। मुझे बेटे का एडमिशन नर्सरी में करवाना है मगर मेरे पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, सिर्फ रेंट अग्रीमेंट है। मुझे गाइड करें। - अजीत कुमार

रेंट अग्रीमेंट कानूनी तौर पर मान्य है मगर यह रजिस्टर्ड होना चाहिए यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवाया हुआ। नोटरी से बने रेंट अग्रीमेंट के लिए आप स्कूल को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, हालांकि कुछ स्कूल इसे मान लेते हैं।

## नर्सरी की उलझन!

### एनबीटी पैनल करेगा मदद

नर्सरी एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 7 जनवरी तक पैरेंट्स के पास फॉर्म भरने का चांस है। नर्सरी एडमिशन को लेकर अगर कोई भी सवाल, उलझन या परेशानी आपके पास के है, तो एनबीटी आपके लिए एक्सपर्ट का पैनल के साथ तैयार है। अपने सवाल आप हमें हमारी ईमेल आईडी **nbtdilli@gmail.com** पर भेज सकते हैं। एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे।

**दिल्ली के बड़े और नामी स्कूल के प्रिंसिपल और एजुकेशन एक्सपर्ट देंगे जवाब**

अमिता वट्टल, प्रिंसिपल, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल

ज्योति अरोड़ा, प्रिंसिपल, माउंट आबू स्कूल, रोहिणी

प्रियंका गुलाटी, प्रिंसिपल, एवरग्रीन सीनियर सेकंडरी स्कूल, वसुंधरा एन्क्लेव

रूमा पाठक, प्रिंसिपल, एम एम पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा

खगेश झा, एजुकेशन एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट

- नर्सरी के लिए उम्र कम से कम 3 साल, केजी के लिए 4 साल और क्लास 1 के लिए 5 साल होनी चाहिए।
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर से स्कूल जितना नजदीक होगा, एडमिशन के चांस उतने बढ़ जाएंगे।